चुनौती देता हूं कि आपमें दम हैं
कुर्सी राजद की किसी महिला
ों तो अपनी किसी बहन को दे दें।
ुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा बिहार

तेजस्वी यादव मुंगेरीलाल का हसीन सपना देख रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार में नौकरी देने की बात कही। उनके पिता लालू प्रसाद को नीतीश कुमार के सामने कुछ बोलने का हिम्मत नहीं होती थी। 2025 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। —— राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री

लटकाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव रविवार को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पोस्टमार्टम
पुष्टि हुई।
बताया कि मृतका के पिता की शिकायत
लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस
ंच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस बीच
शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

कुमार नेहरा ने केस दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपने जानकार सेक्टर-75 स्थित मैक्स बिल्स्टन सोसायटी के श्रीराम अग्रवाल से बिजनौर में एक जमीन का सौदा मय कमीशन 46 लाख रुपए में वर्ष 2023 में तय किया था, लेकिन पूरा पैसा और कमीशन लेने के बाद भी श्रीराम ने बैनामा नहीं कराया और उन्हें लगातार टरकाने लगा। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी ने फर्जी जमीन के नाम पर सौदा कर

...यटी के रख-रखाव शुल्क को लेकर ...ति ने सुपरवाइजर से की मारपीट

एनबी)। थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के
र्टमेंट के
एक दंपति ने
सोसायटी में
ती का उनसे
ल्क नोटिस को
को विवाद हुआ
जर ने थाने में
खिलाफ मुकदमा
और सोशल
पोस्ट कर
और पूर्व में
स फाड़ने का
झा किया है।
मुकेश ने
विवार सुबह
परिसर के
कटवा रहे थे।
न दंपती आए

ईंट व पत्थर फेंककर उन पर हमला किया। भागकर बाहर आने पर आरोपियों ने पकड़कर उनसे मारपीट की और आसपास अन्य लोगों एकत्र होता देख धमकी देकर चले गए।

मुकेश ने बताया कि आरोपी दंपती तीन साल से सोयायटी में रह रहे हैं। उनपर 21 माह का 21 हजार रु पए रख-रखाव शुल्क बकाया है। नवम्बर में सोयायटी के गेट पर उनके बकाया का नोटिस चस्पा किया गया था। इस पर दंपति ने विरोध जताते हुए नोटिस को फाड़ दिया था। आरोप है कि दंपति पूर्व में भी कई बार नोटिस

- दंपति पर 21 महीने का 21 हजार रुपए बाकी है रख-रखाव शुल्क
- सुपरवाइजर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया दंपति के रख-रखाव शुल्क का नोटिस फाड़ते हुए वीडियो

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत)

श्री कृष्ण ढींगरा के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, कोर्ट-IV ने भारतीय स्टेट बैंक (समाधान पेशेवर द्वारा) द्वारा दायर सीपी (आईबी) नं. 752(ND)/2022 में जोकि आईबीसी की धारा 95 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दायर की गई है। कॉर्पोरेट देनदार अर्थात जेएमडी ऑयल्स प्रा. लि. को दी गई व्यक्तिगत गारंटी हेतु आदेश दिनांक 09/12/2024 (आदेश की प्रति 13.12.2024 को प्राप्त हुई) के तहत आईबीसी की धारा 100 के तहत श्री कृष्ण ढींगरा की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

इसलिए, श्री कृष्ण ढींगरा के लेनदारों को एतद्द्वारा समाधान पेशेवर के पते पर यानि एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 409 अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग (सी.पी.) नई दिल्ली -110001 या ईमेल pgjmdoil@gmail.com के माध्यम से दिनांक 06-01-2025 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत (पंजीकरण) करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, या हाथ से, या पंजीकृत डाक द्वारा, या स्पीड पोस्ट से, या कूरियर के माध्यम से अपने दावों का विवरण प्रस्तुत (पंजीकरण) कर सकते हैं।

	व्यक्तिगत गारंटर श्री कृष्ण ढींगरा का विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री कृष्ण ढींगरा
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	निवासी, 5/1-बी रमेश नगर, नई दिल्ली-110015
3.	दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	09-12-2024 (आदेश की प्रति 13.12.2024 को प्राप्त हुई)
4.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	07.06.2025 (180 दिन)
5.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	06.01.2025
	समाधान पेशेवर का विवरण	
6.	समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	श्री चंचल दुआ IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-2018/10821 AFA वैद्यता 31.12.2025 तक
7.	समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो बोर्ड के पास पंजीकृत हो	पताः 5/36, प्रथम तल, रमेश नगर, नई दिल्ली - 110015, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ईमेलः CHANCHALDUACO@GMAIL.COM
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पताः एआरसीके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, पताः 409, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, ईमेलः PGJMDOIL@GMAIL.COM फोनः 011-45101111/40078344

झूठे या भ्रामक दावों को प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय है।

(हस्ता/-)
चंचल दुआ
समाधान पेशेवर

दिनांकः 16.12.2024
स्थान : नई दिल्ली

CUB
TRUST AND EXCELLENCE SINCE 1904

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24-बी, गांधी नगर,
कुम्बकोणम – 612 001, ई-मेल आईडी : crmd@city@cityunionbank.in,
फोन : 0435-2432322, फैक्स : 0435-2431746

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति)